


4/4/23 दिनांक 3/4/23 का अवकाश घोषित होने  
के कारण आज गृह पत्रावली पेश हुई। वादी वकील  
अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
न्यायालय द्वारा बार-बार अवसर दिये जाने के  
उपरान्त भी वादी एवं वादी वकील द्वारा न्यायालय  
के आदेश की पालना नहीं करई गयी। अतः मूल  
वाद 09R-2, 09R-5 में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली नम्बर से कम ही। बाद तकमील  
कार्गोल पत्र हो। सुनाया गया।

  
सहायक क्लर्क  
दरभंग (अलग) कल.